Chapter 6

bihar board 9 class civics notes – लोकतांत्रिक अधिकार

लोकतांत्रिक अधिकार

अध्याय की मुख्य बातें – लोकतंत्र में आम जनता की सत्ता में साझेदारी व्यक्ति के अधिकार के माध्यम से संभव हो पाती है। मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है। व्यक्ति इन सुविधाओं की मांग या दावे के रूप में रखता है जो तार्किक और विवेकपूर्ण होने चाहिए । इस प्रकार अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे हैं जिसे समाज से स्वीकृति एवं अदालतों द्वारा मान्यता मिलती है अधिकार कहलाते हैं।

लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देकर प्रतिनिधि चुनने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने को संज्ञा दी गयी। पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया । 1918 के बम्बई अधिवेशन, 1953 के कराची अधिवेशन में नेहरू समिति ने 1928 में तथा सप्रूसमिति ने 1945 में मौलिक अधिकारों का मामला उठाया पर उसे यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही मिल सका । संविधान के

मूल ढांचे में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से अलग है। इसकी गारंटी एवं उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। हमारे संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है।

समता का अधिकार जिसका संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 19-22 में किया गया है। इसके अंतर्गत भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म प्रचार को स्वतंत्रता का अधिकार देती है। इस प्रकार स्वतंत्रता वैसी छूट है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य की स्वतंत्रता, सामाजिक कानूनी व्यवस्था को बिना ठेस पहुंचाए आजादी का उपयोग कर सकते हैं। भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत लोगों को बोलकर, लिखकर, मुद्रण, प्रकाशन द्वारा या कला के विभिन्न रूपों में अपने विचारों को व्यक्त करना शामिल है। संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को किसी भी धर्म को ग्रहण करने तथा उसका प्रचार-प्रसार करने तथा उसके लिए अन्य कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

संविधान के द्वारा लोगों को सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। इसके माध्यम से भारत में रहनेवाले हर प्रकार के लोगों को अपनी लिपि, भाषा तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उन्हें स्कूल, पाठशालाएँ, कॉलेज, संग्रहालय खोलने तथा

संचालित करने का अधिकार है। इसके साथ ही विभिन्न धर्मों पर आधारित वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है।

भारतीय संविधान में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी गई है जिसके अंतर्गत देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी आदि

कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है।

86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग तीन में की गई है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार है। अब 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मामला को सीधे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में दायर किए जाते हैं। इसे लागू कराने में न्यायालय निर्देश देने, आदेश या लेख (रिट) जारी करता

https://www.evidyarthi.in/

है जो निम्नलिखित है—बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण तथा अधिकारपृच्छा लेख।
वर्तमान में लोगों के अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है इसके अंतर्गत संपति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह से अलग कर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।
इसी प्रकार लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप भारत की संसद के द्वारा विधि निर्माण कर भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है सूचना के अधिकार 2005 के तहत । भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जगह दे दी गई है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जिसमें संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान आदि शामिल है।

evidyarthi

https://www.evidyarthi.in/